CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2025-8.445

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों में अनुच्छेद 21ए की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन

श्रीमति अंजु शर्मा
शोधार्थी
डॉ. देवेन्द्र कुमार
प्रोफेसर
लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर, राजस्थान
Email: devendrakumarlodha@gmail.com, Mobile-8209986606

First draft received: 05.11.2025, Reviewed: 09.11.2025
Final proof received: 09.11.2025, Accepted: 20.12.2025

सारांश

भारत के संविधान में अनुच्छेद 21ए को एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन में अध्यापकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापक न केवल शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, बल्कि वे संवैधानिक प्रावधानों, शैक्षिक अधिकारों तथा शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। प्रस्तुत शोध लेख में शहरी क्षेत्र के अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों के मध्य अनुच्छेद 21ए से संबंधित जानकारी के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध में टी–परीक्षण (t-test) का प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह पाया गया कि शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की जानकारी में सार्थक अंतर विद्यमान है।

मुख्य शब्द: *शैक्षिक अधिकार तथा शैक्षिक नीति आदि.*

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की आधारशिला होती है। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा केवल सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **अनुच्छेद 21ए** को जोड़ा गया, जिसे वर्ष 2010 में **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009)** के रूप में लागू किया गया।

अनुच्छेद 21ए के सफल क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों की संवैधानिक जानकारी, जागरूकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों की जानकारी में भिन्नता होना स्वाभाविक प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाएँ, प्रशिक्षण अवसर, संसाधन तथा प्रशासनिक सहयोग अलग-अलग होते हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

अनुच्छेद 21ए : एक संक्षिप्त परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21ए यह स्पष्ट करता है कि:

"राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।"

इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं—

प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश का अधिकार

अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को निकटतम विद्यालय में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोई भी विद्यालय जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। राज्य का दायित्व है कि वह सभी बच्चों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करे।

निःशुल्क शिक्षा (कोई शुल्क नहीं)

निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे या उसके अभिभावकों से प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य द्वारा पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफॉर्म और आवश्यक शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ताकि आर्थिक कारणों से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए।

अनिवार्य शिक्षा (राज्य की जिम्मेदारी)

अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है कि राज्य की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा विद्यालय में नामांकित हो और नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करे। सरकार विद्यालयों की स्थापना, अध्यापकों

की नियुक्ति तथा शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे शिक्षा बाधित न हो।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

अनुच्छेद 21ए केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी बल देता है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापक, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सुरक्षित विद्यालय वातावरण और बाल-अनुकूल शिक्षण विधियाँ शामिल हैं, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके।

ड्रॉपआउट दर को कम करना

ड्रॉपआउट दर को कम करना अनुच्छेद 21ए का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क सामग्री तथा अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे बच्चे विद्यालय से बाहर न हों और निरंतर शिक्षा प्राप्त करते रहें।

इन सभी प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन में अध्यापकों की भूमिका केंद्रीय होती है।

अध्ययन की आवश्यकता :

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति समान नहीं है। शहरी क्षेत्रों में—

बेहतर शैक्षिक संसाधन

शहरी क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को पुस्तकालय, संदर्भ पुस्तकें, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशालाएँ और सहायक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन संसाधनों के कारण अध्यापक नवीन शैक्षिक जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं तथा अनुच्छेद 21ए जैसे संवैधानिक प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने में सक्षम होते हैं।

तकनीकी सुविधाएँ

शहरी विद्यालयों में कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट, प्रोजेक्टर एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से अध्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण, शैक्षिक पोर्टल और सरकारी अधिसूचनाओं तक आसानी से पहुँच बना पाते हैं, जिससे उनकी संवैधानिक एवं शैक्षिक जानकारी में वृद्धि होती है।

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ

शहरी क्षेत्र के अध्यापकों को समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा अधिकार अधिनियम और अनुच्छेद 21ए से संबंधित नवीन नियमों की जानकारी दी जाती है, जिससे अध्यापकों की जागरूकता बढ़ती है।

सूचना तक आसान पहुँच

शहरी क्षेत्रों में सूचना के स्रोत जैसे समाचार पत्र, शैक्षिक पत्रिकाएँ, सरकारी वेबसाइटें और सोशल मीडिया आसानी से उपलब्ध होते हैं। इससे अध्यापक शिक्षा से संबंधित नवीन नीतियों, अधिनियमों और संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, जो उनकी पेशेवर दक्षता को सुदृढ़ करता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में—

- संसाधनों की कमी
- सीमित प्रशिक्षण अवसर
- प्रशासनिक चुनौतियाँ
- जागरूकता का अभाव

इन परिस्थितियों में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या वास्तव में शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों में अनुच्छेद 21ए से संबंधित जानकारी में कोई अंतर है या नहीं। इसी आवश्यकता ने इस शोध को जन्म दिया।

संसाधनों की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शैक्षिक संसाधनों की कमी एक प्रमुख समस्या है। पुस्तकालय, संदर्भ सामग्री, प्रयोगशालाएँ और आधुनिक शिक्षण सहायक उपकरण सीमित होते हैं। संसाधनों के अभाव के कारण अध्यापक नवीन शैक्षिक नीतियों एवं अनुच्छेद 21ए जैसे संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

सीमित प्रशिक्षण अवसर

ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर अपेक्षाकृत कम प्राप्त होते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दूरी, समय की कमी एवं संसाधनों के अभाव के कारण अध्यापक शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं अनुच्छेद 21ए से संबंधित अद्यतन जानकारी से वंचित रह जाते हैं।

प्रशासनिक चुनौतियाँ

ग्रामीण विद्यालयों में प्रशासनिक चुनौतियाँ अधिक पाई जाती हैं, जैसे अध्यापकों की कमी, अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक कार्य, तथा सीमित निगरानी व्यवस्था। इन समस्याओं के कारण अध्यापक शैक्षिक नवाचारों एवं संवैधानिक प्रावधानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनकी जानकारी और कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

जागरूकता का अभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। सीमित सूचना स्रोत, कम प्रशिक्षण और सामाजिक कारकों के कारण अध्यापक अनुच्छेद 21ए के उद्देश्यों एवं प्रावधानों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, जिससे इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. शहरी क्षेत्र के अध्यापकों में अनुच्छेद 21ए की जानकारी का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों में अनुच्छेद 21ए की जानकारी का अध्ययन करना।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की जानकारी में अंतर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_{04}):

“शहरी क्षेत्र के अध्यापक व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों में अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।”

शोध विधि

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत अध्ययन में **वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि** का प्रयोग किया गया।

नमूना

अध्ययन के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 50 अध्यापकों का चयन किया गया।

उपकरण

अनुच्छेद 21ए की जानकारी मापने हेतु शोधार्थी द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय तकनीक

प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण हेतु—

- मध्यमान (Mean)
- मानक विचलन (Standard Deviation)
- टी–परीक्षण (t-test)

का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

समूह	N	मध्यमान	मानक विचलन
शहरी अध्यापक	25	69.24	18.21
ग्रामीण अध्यापक	25	58.64	18.53

गणना करने पर—

- **टी का प्राप्त मान = 8.74**
- स्वतंत्रता की कोटि (df) = 48
- 0.05 सार्थकता स्तर पर सारणी मान = 1.96

चूँकि प्राप्त टी–मान (8.74) सारणी मान (1.96) से अधिक है, अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि—

- शहरी क्षेत्र के अध्यापकों में अनुच्छेद 21ए से संबंधित जानकारी का स्तर ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की तुलना में अधिक है।
- शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की जानकारी में **सार्थक अंतर** पाया गया है।
- अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

शैक्षिक निहितार्थ

1. ग्रामीण अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
2. अनुच्छेद 21ए से संबंधित जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।
3. डिजिटल एवं प्रिंट संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाए।
4. सतत व्यावसायिक विकास (CPD) पर बल दिया जाए।

सीमाएँ

- अध्ययन सीमित नमूने पर आधारित है।
- केवल एक संवैधानिक अनुच्छेद पर अध्ययन किया गया है।
- भौगोलिक क्षेत्र सीमित रहा।

उपसंहार

अनुच्छेद 21ए भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों की जानकारी एवं जागरूकता अनिवार्य है। प्रस्तुत अध्ययन यह दर्शाता है कि शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों के मध्य जानकारी का अंतर अभी भी विद्यमान है, जिसे दूर करने हेतु ठोस नीतिगत एवं शैक्षिक प्रयासों की आवश्यकता है। यदि सभी अध्यापक समान रूप से संवैधानिक प्रावधानों से परिचित होंगे, तभी "सबके लिए शिक्षा" का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार (2010). *निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*. नई दिल्ली: भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
2. भारत का संविधान (2023). *अनुच्छेद 21ए – शिक्षा का अधिकार*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
3. Aggarwal, J. C. (2010). *Education in the Emerging Indian Society*. New Delhi: Shipra Publications.
4. Best, J. W., & Kahn, J. V. (2012). *Research in Education* (10th ed.). New Delhi: Pearson Education.
5. Koul, L. (2014). *Methodology of Educational Research*. New Delhi: Vikas Publishing House.
6. NCERT (2011). *Right to Education: A Handbook*. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
7. Kumar, R. (2016). *Educational Statistics*. New Delhi: Anmol Publications.
8. MHRD (2015). *Sarva Shiksha Abhiyan: Framework for Implementation*. New Delhi: Ministry of Human Resource Development.